



Agriculture University, Jodhpur

Jodhpur - 342304 (Rajasthan)

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर

जोधपुर - 342304 (राजस्थान)

Website: www.aujodhpur.ac.in

Telephone : (O) 0291-2570710

Email: registraraujdp@gmail.com

क्रमांक एफ () कृवि/जोध/स्थापना/2026/ 8462-87


दिनांक 06 मार्च, 2026

—: आदेश :-

राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर के पत्र क्रमांक 1956 दिनांक 17 अप्रैल, 2025 के तहत महामहिम कुलाधिपति महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार कुलगुरु महोदय द्वारा कलैण्डर वर्ष में तीन दिवस का अवकाश घोषित करने का अधिकार दिया गया है।


अतः उक्त आदेश की अनुपालना में कुलगुरु महोदय द्वारा विश्वविद्यालय एवं इसके अधीनस्थ समस्त इकाईयों में शीतला अष्टमी दिनांक 11 मार्च, 2026 (बुधवार), गुरु पूर्णिमा दिनांक 29 जुलाई, 2026 (बुधवार) एवं गणेश चतुर्थी दिनांक 14 सितम्बर, 2026 (सोमवार) को तीन दिवस का अवकाश घोषित किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(समदर सिंह भाटी) RAS
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान् सचिव, राज्यपाल सचिवालय, लोकभवन, जयपुर।
2. श्रीमान् शासन उप सचिव, कृषि (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, कुलगुरु महोदय, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
4. समस्त निदेशकगण, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
5. वित्त नियंत्रक/परीक्षा नियंत्रक/भू-सम्पदा अधिकारी, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
6. अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय/प्रौ. व कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जोधपुर/नागौर/बायतु।
7. विशेषाधिकारी, कृषि महाविद्यालय, सुमेरपुर/डेयरी एवं खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, जोधपुर।
8. परियोजना समन्वयक, अखिल भारतीय बाजरा समन्वित परियोजना, पी. सी. यूनिट, मंडोर।
9. क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, डॉ. बी. आर. चौधरी कृषि अनुसंधान केन्द्र, मंडोर-जोधपुर।
10. क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, केशवाना-जालौर।
11. प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप-केन्द्र, समदड़ी/सुमेरपुर/नागौर।
12. समस्त वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
13. प्रभारी, किसान कौशल विकास केन्द्र, जोधपुर।
14. कोषाधिकारी/लेखा शाखा, प्रशासनिक कार्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
15. नोडल ऑफिसर (वेबसाइट), कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड करें।
16. रक्षित पत्रावली।


कुलसचिव